

खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र  
(रा.भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

DR A. K. S.

के.ए.

10/11/2021

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

आसपुर

मार्फत - तहसीलदार साहब आसपुर

विषय :- राजस्व रेकार्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

होदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पारडाइटीवा की जमाबन्दी

त 2074 - 2077 खाता 374, 375 में  
184

महोदयजी

उपरोक्त विषय में अरजी पिता देवा भीवा का निवेदन इस प्रकार है कि मैं भोजा पारडाइटीवा के खाता नं० 374, 375, 184 में अरजी पुत्र देवा भीवा खाते भूमि दर्ज है जो मेरा नाम राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज ही जानें है मेरा सही नाम अरजी पिता देवा भीवा शुद्ध कराने का आदेश फरमाये।

अरजी

प्रार्थी

रिपोर्ट पटवारी व भू-अभिलेख

भद्रोदयजी

मौजा पारडा इटीवा के खाता सं० 374, 375, 184  
खातेदार हरजी पिता देवा भीमा दर्ज रिजार्ड है आवेदक द्वारा  
खाते में गलत नाम इन्द्राज ही जमी नाम शुद्धि हेतु मय कोर्ट  
पेशा किये हैं दस्तावेज के आधार से हरजी के वजाय अरजी  
शुद्धि किया जाना उचित है ?

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार  
10/11/2021

भद्रोदयजी

पठवारी हल्का एच यू. अ. नि. कृत गोल के जांच  
रिपोर्ट के आधार पर मौजा पारडा इटीवा के खाते सं० 374, 375  
खातेदार हरजी पिता देवा भीमा दर्ज रिजार्ड है जो गलत है  
अरजी पिता देवा जी सही है का दर्ज करके  
श्रीमान का रिपोर्ट प्रेषित है ?

10/11/2021

उक्त लेखाधन सीधे किया जा रहा है  
10/11/2021

# INDIA NON JUDICIAL STAMP

## RS 50 ADC



गणराज्य भारत अधिनियम 1999 के अन्तर्गत  
स्थापित गैर न्यायिक मुद्रांक  
1. आधारभूत अधिसूचना सुविधाओं हेतु।  
(धारा 3 क) 10% का दर.....  
2. गैर न्यायिक मुद्रांक के माध्यम से प्रमाणित होने  
(धारा 3 ख) 10% का दर.....  
कुल धरा ५०  
मुद्रांक प्रदाता संघ



### शपथ-पत्र

मैं श्री अरजी उर्फ हरजी पिता देवा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी पारडा ईटीवार तहसील आसपुर जिला डूंगरपुर राजस्थान का होकर शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :-

1. यह कि मैं ग्राम पारडा ईटीवार का स्थाई निवासी हूँ।
2. यह कि मेरा वास्तविक नाम अरजी है, एवं मेरे आधार कार्ड एवं अन्य डॉक्युमेंट्स में भी मेरा नाम अरजी पिता देवा मीणा ही दर्ज है एवं मेरे जमाबन्दी एवं रेवेन्यु रेकार्ड में मेरा नाम हरजी अंकित हो गया है जो कि लिपिकिय त्रुटी के कारण दर्ज है लेकिन दोनो नाम मेरे स्वयं के ही है। एवं मुझे हरजी की जगह अरजी सही माना जावे एवं रेवेन्यु रेकार्ड व जमाबन्दी में दर्ज किया जावे।
3. यह कि उक्त दोनो नामो का होकर एक ही व्यक्ति हूँ। एवं दोनो नाम एक ही माने जावे। एवं मेरे दस्तावेजो के आधार पर मेरा वास्तविक नाम अरजी खाते में दर्ज किया जावे।
4. यह कि उक्त शपथ पत्र दोनो नाम मेरे होने के संबंध में सम्पादित कर रहा हूँ।

दिनांक :- 09.11.2021

सत्यापन

ह0 शपथ गृहीता  
अरजी

उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है तथा सत्य होने की तस्दीक करता हूँ।

दिनांक :- 09.11.2021

ह0 शपथ गृहीता  
अरजी

**ATTESTED**  
9/11/2021  
R.N.1284/2018  
Chandraveer Singh Rathore  
Sabla Dist. Dungarpur (Raj.)